



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18-संस्थागत क्षेत्र,  
18, INSTITUTIONAL AREA  
शहीद जीत सिंह मार्ग,  
SHAHEED JEET SINGH MARG  
नई दिल्ली-110 016  
NEW DELHI-110016

फैक्स FAX: 26514179 फोन PHONE: 26858570

Website : [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

Dated: 07.09.2018

F.11074/5/2012-KVS(Hq)/(Admn-1)

### आदेश

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 से डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) के परिसर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में इस नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्सनों में वृद्धि की जा सकेगी। प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात् डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
3. सभी अनुपातिक ऊपरी खर्च एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च संबंधी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त अप्रैल महीने में दूसरी किस्त अक्टूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्सनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केविसं प्राधिकृत होंगे तथा वे प्रायोजक को विधिवत नोटिस देकर केन्द्रीय विद्यालय को बंद करने का निदेश भी दे सकते हैं।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और नियमों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

(डॉ. शचीकांत)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
3. उप सचिव (यू.टी.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के कार्यकारी सहायक/निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (शैक्षिक)/(प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)/(प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. रजिस्ट्रार, डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)।
10. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
11. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली।
13. निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर, मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/भुवनेश्वर।
14. सभी अधिकारी/अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।
15. गार्ड फाइल।

Handwritten signature and initials.



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18-संस्थागत क्षेत्र,  
18, INSTITUTIONAL AREA  
शहीद जीत सिंह मार्ग,  
SHAHEED JEET SINGH MARG  
नई दिल्ली-110 016  
NEW DELHI-110016

फैक्स FAX: 26514179 फोन PHONE: 26858570  
Website : [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

Dated: 07.09.2018

F.11074/5/2012-KVS(Hq)/(Admn-1)

### ORDER

Sanction of the HRM-cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan is hereby accorded to open a new Kendriya Vidyalaya in the campus of **Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.) under IHL Sector** with classes I to V (single section in each class) from the academic year 2018-19 with consequential growth based on feasibility.

The sponsor, i.e., Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.) will be responsible to provide: -

1. Permanent Vidyalaya building as per the specifications of the KVS.
2. 100% staff quarters to all the staff of the Kendriya Vidyalaya.
3. All recurring & non-recurring expenditure including proportionate over-head charges and future development expenditure.

The sponsors shall remit the budgeted amount of recurring and non-recurring expenditure in advance installments to the Deputy Commissioner, KVS, Jabalpur Region, i.e., first installment in the month of April and second in the month of October for each financial year.

In case the sponsor fails to fulfill their commitment as agreed to, the Commissioner, KVS is empowered to reduce the number of classes/sections and also direct the closure of Kendriya Vidyalaya by giving due notice to the sponsor.

The admission to the Kendriya Vidyalaya will be as per the priorities/rules prescribed by the KVS from time to time for the KVs under IHL sector.

  
(Dr. Shachi Kant)  
Joint. Commissioner (Pers.)

#### Distribution: -

1. PS to Chairman, KVS New Delhi
2. PS to Vice-Chairperson, KVS, New Delhi
3. Deputy Secretary (UT), MHRD Shastri Bhawan, New Delhi.
4. EA/PS to Commissioner, KVS, New Delhi
5. PS to the Additional Commissioner (Admn.)/(Acad.) KVS, New Delhi
6. The Joint Commissioner (Acad.) KVS for information & necessary action.
7. The Joint Commissioner (Trg.)/(Admn.), KVS for information and necessary action..
8. The Joint Commissioner (Finance), KVS, for information & Necessary action.
9. The Registrar, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)
10. The Deputy Commissioner, KVS All Regional Offices.
11. The Deputy Commissioner, EDP Cell, KVS, New Delhi for uploading the order on KVS website.
12. The Secretary, C.B.S.E., Preet Vihar, Delhi.
13. The Director ZIET, KVS Gwalior. Mumbai/Mysore/Chandigarh/Bhubaneshwar.
14. All Officers/Sections, KVS (Hqrs.), New Delhi
15. Guard File.

\*\*\*\*

Handwritten initials and signatures: 'KVS', 'S', 'PDS'